Motion Re: 1st Report of Committee on Ethics

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, I beg to move:

?That this House do take up for the consideration the First Report of the Committee on Ethics on complaint dated 15 October, 2023 given by Dr. Nishikant Dubey, MP against Shrimati Mahua Moitra, MP for alleged direct involvement in the cash for query in the Parliament with reference to the examination/investigation of unethical conduct of Shrimati Mahua Moitra, MP laid on the Table of the House on 08 December, 2023.? ? (*Interruptions*)

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय **(**कोलकाता उत्तर**):** अध्यक्ष महोदय, आप सुश्री महुआ जी को बोलने का मौका दीजिए।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** एक मिनट।

? (व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, the copy of the Motion is not with us. We do not have the copy of the Motion. ? (*Interruptions*)

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री**;** संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री **(**श्री अर्जुन राम मेघवाल**):** वह कॉपी अपलोड हो गयी है।?(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय सदस्यगण, आज जिस विषय पर विचार किया जा रहा है, वह विचार और प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने रखा है, वह हम सभी के लिए पीड़ादायक भी है, लेकिन कई बार ऐसे अवसर आते हैं, जब इस सभा को अपने प्रति, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उचित निर्णय लेने होते हैं।

माननीय सदस्यगण, संसदीय लोकतंत्र नियमों, उच्च मर्यादाओं से चलता है। यह सदन हमारे देश का सर्वोच्च पीठ है। पिछले 75 वर्षों की हमारी लांकतांत्रिक यात्रा में हमारे सदन की, हमारे लोकतंत्र की एक ऊंची मर्यादा स्थापित हुई है। पूरा देश उच्च संसदीय परंपराओं के लिए हमारी ओर देखता है। इन्हीं उच्च परंपराओं की बदौलत हमारे लोकतंत्र की पूरे विश्व में एक विशिष्ट पहचान है।

माननीय सदस्यगण, पिछले 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा में हमारा लोकतंत्र निरंतर सशक्त और परिपक्व हुआ है। जनता के बीच हमारी विश्वसनीयता लगातार बढ़ी है। जनता ने हमें इसलिए चुनकर भेजा है कि हम उनके

विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनकी आशाओं और उनकी आकांक्षाओं को इस सदन में बैठकर पूरा कर सकें। लेकिन हमारे लोकतंत्र की इस गौरवशाली यात्रा में समय-समय पर हमारे सामने ऐसे अवसर भी आए हैं, जब हमने इस सदन की गरिमा, प्रतिष्ठा और सदन के उच्च मापदण्डों को बनाए रखने के लिए उचित निर्णय भी किए हैं। इस सदन की उच्च मर्यादा और लोकतांत्रिक मूल्य, ऐसे मूल सिद्धांत है, जिनसे किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। ऐसे में हमारा दायित्व बनता है कि हम शुद्ध अंत:करण से ईमानदारी और कर्त्तव्यनिष्ठा से इन सिद्धांतों की रक्षा के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन करें। हम अपने उच्च आचरण में शुद्धता रखें, शुचिता रखें, अपने व्यवहार से, किसी प्रकार से किसी को कष्ट न हो। हमारे व्यवहार से हमारे कार्य में कोई संदेह न हो, हमारा आचरण ऐसा न हो, जिससे कि लोकतंत्र की उच्च मर्यादा और प्रतिष्ठा को कोई ठेस पहुंचे। इस सदन की विशिष्टता और उच्च मापदण्डों को बनाये रखना तथा उन्हें संवर्धित करना इस सदन के सदस्य के रूप में हम सब का सामूहिक और सर्वोच्च दायित्व है।

माननीय सदस्यगण, मैं समझता हूं कि हम सब यहां पर जिस बात पर विचार करने जा रहे हैं, हम सब उस पर सामूहिकता से विचार कर रहे हैं, सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं, संवदेना के साथ विचार कर रहे हैं। मेरी कोशिश रहती है कि किसी भी सदस्य को मैं सदन से न निलंबित करूं और न कभी कोई कार्रवाई करूं। मेरी तो यही कोशिश रहती है कि सभी सदस्यों को पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय मिले। समय-समय पर मैंने कोशिश भी की कि सदन की मर्यादा बनी रहे और यदि उस मर्यादा को बनाने के लिए कुछ कठोर निर्णय भी करने पड़े तो सदन की मर्यादा के लिए करने पड़े। इसलिए आज भी हम जो भी चर्चा कर रहे हैं, उसमें मर्यादा, सदन की गरिमा हम सब के लिए सबसे ऊपर है। ऐसी परिस्थिति में इस सदन के गौरव, सम्मान, नैतिकता और अस्मिता को अक्षुण्ण रखना हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है।

मुझे आशा है कि इस विषय पर जब हम चर्चा करें, तो सदन की मर्यादा, उच्च कोटि की मर्यादा और पूरे देश में इस सदन के प्रति लोगों का विश्वास, भरोसा बना रहे। व्यक्तिगत रूप से भी जिन लोगों ने हमें चुनकर भेजा है, व्यक्तिगत आचरण में भी हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि हम लोकतंत्र की उच्च मर्यादा को कायम रख सकें। मैं नियम 316 ई (2) के विषय पर अधिकतम आधे घंटे की चर्चा की अनुमति देता हूं।

Motion moved:

?That this House do take up for the consideration the First Report of the Committee on Ethics on complaint dated 15 October, 2023 given by Dr. Nishikant Dubey, MP against Shrimati Mahua Moitra, MP for alleged direct involvement in the cash for query in the Parliament with reference to the examination/investigation of unethical conduct of Shrimati Mahua Moitra, MP laid on the Table of the House on 08 December, 2023.?

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय **:** सर, इतनी पार्टियां यहां पर हैं और आधे घंटे में यह नहीं होगा। आप प्लीज थोड़ा टाइम तो बढ़ाइये। आधे घंटे में सब पार्टियां कैसे बोल पाएंगी।

माननीय अध्यक्ष **:** ठीक है।

श्री अधीर रंजन चौधरी जी।

श्री अधीर रंजन चौधरी **(**बहरामपुर**):** सर, आपने अपनी पीड़ा जताई और यह सुनकर हमें यह यकीन हो रहा है कि कम से कम कोई हमारे साथ रहे या न रहे, हमारे स्पीकर साहब एक कस्टोडियन होने के नाते सही दिशा में सही निर्णय जरूर लेंगे।

सर, मैं दो-तीन छोटी सी बातें कहूंगा, क्योंकि हमारी पार्टी की तरफ से मनीष तिवारी जी इस पर अपनी बात रखेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज 12 बजे के बाद एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट ले हुई है। इसके साथ-साथ, आपने दो बजे से इस मुद्दे पर चर्चा शुरू कर दी है। हमारे पास जो रिपोर्ट आई है, मैं उसे आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। इसमें 106 पेजेज हैं। केवल यही नहीं, सारे एनेक्सचर वगैरह मिलाकर इसमें कुल 495 पेजेज हैं।

मेरे मन में यह सवाल आता है, चाहे कोई मेम्बर हो या जो भी हो, इतनी जल्दी में, मतलब केवल दो घंटे की मोहलत में, अभी दो घंटे भी नहीं हुए हैं, 12 बजे के बाद, यहाँ से निकलने के बाद उसको डाउनलोड करते-करते आधा-पौना घंटा निकल चुका है। फिर भी इसमें 406 पेजेज हैं। आप यह कहें कि क्या किसी मनुष्य की इतनी क्षमता है कि इतनी जल्दबाजी में सारे पेपर्स को पढ़ ले और यदि उसके अन्दर कोई गलती है तो क्या वह बारीकी से जानकारी लेने में कामयाब हो सकता है, आप बताइए?

मैं यह केवल कॉमनसेंस के आधार पर पूछना चाहता हूँ। इसलिए मैंने मेरी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से आपसे यह मांग भी रखी है कि तीन-चार दिनों की मोहलत दी जाए ताकि इस बीच हम लोग इसे सही ढंग से पढ़ें, इस पर विचार-विमर्श करें। उसके बाद इस पर सही ढंग से चर्चा की जाए, जैसा कि आप चाहते हैं। सदन की मर्यादा को रखते हुए, उच्चकोटि की मर्यादा का पालन करते हुए, हम लोग इस पर सदन में विस्तार से चर्चा करें क्योंकि यह एक छोटा मुद्दा नहीं है। यह एक नज़ीर बनकर जाएगा। यह नया सदन एक नज़ीर बनाने जा रहा है। इसलिए इस नज़ीर में कोई खामी न रहे।

मैं छोटी-सी बात कहना चाहता हूँ। मान लीजिए किसी न्यायालय में अगर किसी को मौत की सज़ा होती है, तो न्यायाधीश उससे पूछता है कि आपको कुछ कहना है। इसको हम नैचुरल जस्टिस बोलते हैं। Audi alteram partem एक शब्द है, जिसे रूल में देखते हैं। इसका मतलब यह है कि जिसके खिलाफ कोई शिकायत है, तो नैचुरल जस्टिस के तहत उसको बोलने का मौका देना चाहिए।

जैसे कि महुआ मोइत्रा का नाम लिया गया है, उनका जिक्र किया गया है, उनके खिलाफ शिकायतें हैं, तो उनको तो कम से कम बोलने का मौका देना चाहिए। आप खुद बताइए सर। मैं इसे आपके विचार पर छोड़ रहा हूँ।

यह नया सदन एक नये ... अध्याय का आगाज़ न करे।? (व्यवधान)

यह मेरी शंका है।? (व्यवधान) जिस सदन में महिलाओं को महिमामंडित किया जाता है, ? (व्यवधान)

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, this has to be expunged. ? (*Interruptions*). That has to be expunged. ? (*Interruptions*) सर, यह क्या चल रहा है? ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** हम ... शब्द को हटा देंगे।

? (व्यवधान)

श्री प्रहलाद जोशी **:** सर, चर्चा मेरिट पर होनी चाहिए। जो विषय रिपोर्ट में है, उस पर चर्चा होनी चाहिए।? (व्यवधान) वर्ष 2005 में जब 10 लोगों को निष्कासित किया गया था, तो उसी दिन रिपोर्ट दी गई थी और उस समय भी उन 10 लोगों को यहाँ अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया था।? (व्यवधान) यह रेकॉर्ड पर है।? (व्यवधान) जहाँ तक मैं जानता हूँ, माननीय सोमनाथ चटर्जी जी ने उसके ऊपर रूलिंग दी थी।? (व्यवधान) ये क्या बात कर रहे हैं? ? (व्यवधान) और ... वगैरह कह रहे हैं।? (व्यवधान) जो हुआ है, हमारे देश की इतनी बड़ी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है।? (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी **:** सर, मंत्री जी को सुनने की हिम्मत नहीं है।? (व्यवधान)

श्री प्रहलाद जोशी **:** अभी हमारी डेमोक्रेसी का जो ...***** है, उस ...***** के बारे में बात करो।? (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी **:** मैंने क्या ज्यादा मांग की है? ? (व्यवधान) यहाँ पर माननीय रक्षा मंत्री जी हैं।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** श्री मनीष तिवारी जी।

? (व्यवधान)

श्री मनीष तिवारी **(**आनन्दपुर साहिब**):** माननीय अध्यक्ष जी, मुझे वकालत करते हुए 31 साल हो गए हैं। कई बार ऐसा मौका आया है कि जल्दी में बहस करनी पड़ती है। शायद आज पहली बार किसी कागज़ को बगैर संज्ञान में लिये हुए, मैं बहस करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह एक बड़ी विडम्बना है कि 12 बजे पटल के ऊपर रिपोर्ट रखी जाती है और दो बजे उसकी बहस लगा दी जाती है।

जैसा कि अधीर रंजन जी ने कहा, Heavens would not have fallen ? आसामान नहीं गिर जाता, अगर तीन-चार दिन हमको दे दिए जाते कि इस कागज को, यह जो रिपोर्ट है, इसको संज्ञान में लेकर, इसको पढ़कर अपनी बात एक अच्छे ढंग से हम इस सदन के समक्ष रख सकते, क्योंकि एक बहुत ही संवेदनशील मामले के ऊपर यह सदन फैसला करने जा रहा है।

अध्यक्ष जी, मैं चार-पांच चीजें, जो बहुत ही बुनियादी हैं, जो नैचुरल जस्टिस से और जो मौलिक अख्तियार हैं, उनसे जुड़ी हुई हैं, उनके ऊपर मैं जरूर अपनी बात कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष जी, मेरा पहला सवाल यह है। Can the procedure of the Ethics Committee override the fundamental principle of natural justice which is the organizing principle of every justice system in the world? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि हमने जो अखबारों में पढ़ा, उससे बहुत साफ तौर पर यह चीज निकलकर आई कि जिनको अभियुक्त बनाया गया, जिनके ऊपर लांछन लगाए गए, उनको अपनी बात पूरी तरह रखने का मौका भी नहीं दिया गया। यह किस तरह का प्रोसीजर है? ? (व्यवधान) यह किस तरह की न्यायिक प्रक्रिया है? ? (व्यवधान) इसलिए, नैचुरल जस्टिस का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, कि जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, जिसको अभियुक्त बनाया जाता है, उसको अपनी पूरी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। इसी के साथ, जिस व्यक्ति ने आरोप लगाए हैं, उसको क्रॉस-एग्ज़ामिन करने का मौका मिलना चाहिए। जहां तक मेरी जानकारी है, जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं, न सुश्री महुआ मोइत्रा को और न उनके किसी वकील को क्रॉस-एग्ज़ामिन करने का मौका दिया गया।

अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा सवाल यह है, मैंने Rule 316(D) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, उसको ध्यान से पढ़ा है। उसमें यह लिखा है, ?The recommendations of the Committee shall be presented to the House in the form of a report.? अब मैं एक बुनियादी सवाल पूछना चाहता हूं कि फौजदारी के कानून में दो चीजों में फर्क है। ?कन्विक्शन? और ?सन्टेंसिंग? में फर्क है। जो एथिक्स कमेटी है, वह यह तो सिफारिश कर सकती है कि कोई व्यक्ति गुनाहगार है या बेगुनाह है, लेकिन एथिक्स कमेटी यह सिफारिश नहीं कर सकती कि उसको दंड क्या दिया जाना चाहिए? There is a fundamental distinction. That power lies with this House. The Ethics Committee at best can make a recommendation whether a person is guilty or a person is innocent. It is this House sitting as a jury which has the powers to decide the quantum of punishment, Mr. Speaker. Therefore, the recommendation of the Ethics Committee is fundamentally flawed in my respectful submission.

अध्यक्ष जी, मेरा तीसरा सवाल है कि आज सारी पार्टियों ने ?थ्री लाइन व्हिप? इश्यू किया है। मैं एक बुनियादी प्रश्न पूछना चाहता हूं। Today, this House is sitting as a judge and a jury. In an impeachment proceeding or when you are considering the report of the Privileges Committee or you are considering the report of the Ethics Committee, can a party direct its Members to vote in a particular way? Can a Whip even be issued because this is like directing a Judge to decide a matter in a particular manner? This is a complete travesty of justice.

First of all, Mr. Speaker, Sir, this House should be adjourned. All the Whips should be withdrawn from all the sides because we are not sitting as ordinary Members of this House. We are sitting as Judges in a Jury in order to decide the fate of one of our hon. colleagues, and I am afraid that cannot be done through whip-driven terror. ? (*Interruptions*)

अध्यक्ष जी, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। अभी तो मैं बुनियादी सवालों के ऊपर हूं, रिपोर्ट पर तो मैं आया भी नहीं हूं। ज़रा सुन लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही बुनियादी सवाल हैं। मैं अगला सवाल आपसे यह पूछना चाहता हूं कि ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** आप संसद में डिबेट कर रहे हैं या कोर्ट में कर रहे हैं?

? (व्यवधान)

श्री मनीष तिवारी **:** अध्यक्ष जी, यह कोर्ट है। ? (व्यवधान) Today we are sitting as a court. We are not sitting as a Parliament. ? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय सदस्य, यह कोर्ट नहीं है।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय सदस्य, यह संसद है, कोर्ट नहीं है।

? (व्यवधान)

SHRI MANISH TEWARI: Today we are sitting as Judges to decide the fate of one of our colleagues. ? (*Interruptions*)

We are not sitting as a Parliament today. We are sitting as a Judge and a jury. There is a fundamental distinction between the two. ? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय सदस्य, कृपया एक मिनट रुकिए।

माननीय सदस्यगण, यह संसद है, कोर्ट नहीं है। आप सीनियर हैं। आप क्या बोल रहे हैं, यह आप देखिए, आपके दल के नेता देखें।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** नो। यह कोर्ट नहीं है।

? (व्यवधान)

श्री मनीष तिवारी **:** महोदय, मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** मैं न्यायाधीश नहीं हूँ। मैं सभापति हूँ।

? (व्यवधान)

श्री मनीष तिवारी **:** महोदय, मैंने पिछले 4,5 साल, पौने 5 साल में कभी आपकी बात नहीं काटी है। आपकी हर रूलिंग को सर माथे पर रखा है, पर आज यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मुझे आपसे डिसएग्री करना पड़ेगा, क्योंकि आज हम एक संसद के रूप में नहीं बैठे हैं। Today, we are sitting as a jury, we are sitting as Judges to decide the fate of one of our colleagues. My next question is this. ? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय सदस्य, कृपया एक मिनट रुकिए।

जूडिशिएरी और इस सभा में अंतर है। आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। यहाँ मैं निर्णय नहीं कर रहा हूँ, यहाँ निर्णय यह सभा कर रही है।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** नो, गलत तरीके के तर्कों को यहाँ पर मत रखिए।

ये चीजें रिकॉर्ड में जाती हैं।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** आप गलत तरीके से तर्क मत दीजिए। मैं न्यायाधीश नहीं हूँ। मैं सभापति हूँ और यह सभा निर्णय करेगी।

? (व्यवधान)

श्री प्रहलाद जोशी **:** सभी पार्टीज ने व्हिप जारी किया है।? (व्यवधान) हमने थोड़े कहा है कि ऐसे ही वोट करो। हमने तो प्रेजेंट रहने के लिए व्हिप जारी किया है।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** आपने कहा है, इसलिए मैंने आपको कहा है। आपने मेरी बात की है, इसलिए मैंने आपको कहा है।

प्लीज, एक मिनट बैठिए। यह सभा निर्णय कर रही है और जब सभा निर्णय करती है तो करती है।

अब आप बोलिए।

श्री मनीष तिवारी **:** मैं बहुत ही अदब और सत्कार के साथ एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या एक न्यायमूर्ति को या न्यायाधीश को यह कहा जा सकता है? Can he be directed to decide in a particular manner? आप टेंथ शेड्यूल के तहत जब व्हिप इश्यू करते हैं, you are virtually directing your Members to decide in a particular manner. It is the complete antithesis of natural justice. ? (*Interruptions*) The fundamental principles of natural justice have been thrown to the winds in this House. I would urge you that the whip needs to be withdrawn because we are sitting as a jury. ? (*Interruptions*) The whip needs to be withdrawn. ? (*Interruptions*)

महोदय, मैंने अपनी जिन्दगी में कभी ऐसा नहीं देखा है कि जब कोई सभा न्याय करने बैठी हो, न्यायमूर्ति के रूप में बैठी हो तो एक व्हिप के माध्यम से उनको यह हिदायत दी जाए कि आपको फैसला एक तरीके से करना है। अपना विवेक, अपना कॉन्शियस, अपनी सेंस ऑफ जस्टिस इस्तेमाल करके नहीं करना, एक पर्टिकुलर तरीके से फैसला करना है।

माननीय अध्यक्ष **:** डॉ. हिना विजयकुमार गावीत जी।

? (व्यवधान)

श्री मनीष तिवारी **:** महोदय, मैं अगली बात पर आता हूँ।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** एक मिनट, आप कनक्लूड कर दीजिए।

SHRI MANISH TEWARI: Sir, Article 105 of the Constitution gives powers, privileges and immunities to the Members of Parliament. I want to read out Article 105 (2). Article 105 (2) says: ?No member of Parliament shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given by him in Parliament or any

committee thereof, and no person shall be so liable in respect of the publication by or under the authority of either House of Parliament of any report, paper, votes or proceedings.?

Article 105 (2) was inserted into the Constitution in order to give complete immunity ? I stress the words ?complete immunity? ? to a Member for anything said or done in the House. He cannot even be, his conduct cannot even be called into question in a court of law. So, the question is when your conduct cannot be called into question in a court of law, can your conduct be called into question in this august Chamber? ? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष **:** डॉ. हिना गावीत जी।

? (व्यवधान)

डॉ**.** हिना विजयकुमार गावीत **(**नन्दुरबार**):** अध्यक्ष जी, बहुत दुख हो रहा है कि आज हमें ऐसे विषय पर संसद में चर्चा करनी पड़ रही है।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** गावीत जी, आप एक मिनट रुक जाइए। मनीष तिवारी जी, आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

SHRI MANISH TEWARI: Hon. Speaker, Sir, my humble submission is, can this august House override the founding Document of India which has brought this House into existence? The answer is ?no?. Article 105 (2) gives absolute immunity for anything done in the House.

Hon. Speaker, Sir, my last point is this. When the hon. Supreme Court of India interpreted Article 105 (2) in P.V. Narasimha Rao?s case, they clearly and absolutely said that anything, anything done in this House even if it is allegedly actuated by bribery, cannot be called into question in any court of law.

Therefore, Mr. Speaker, Sir, these proceedings should not have been held. And I would urge you to withdraw ? (*Interruptions*)

डॉ**.** हिना विजयकुमार गावीत **:** अध्यक्ष जी, हमारे विरोधी पार्टी के साथियों ने कहा कि एक ही दिन में रिपोर्ट लाए और एक ही दिन में चर्चा लाए। मैं उन्हें याद करवाना चाहती हूं कि वर्ष 2005 में उनकी सरकार के समय सेम डे रिपोर्ट आई और दस सांसदों को सेम डे इन्होंने निकाला था। जो आज हमसे सवाल पूछ रहे हैं, उन्होंने यही वर्ष 2005 में किया था।

माननीय अध्यक्ष **:** उस समय संविधान की धारा 105 नहीं थी!

डॉ**.** हिना विजयकुमार गावीत **:** अध्यक्ष जी, देश में यह इंसिडेंट पहली बार नहीं हुआ। वर्ष 1951-52 में श्री मुदगल जी, जो उस समय माननीय सांसद थे, उन्हें पैसे लेने के आरोप में संसद ने निकाला था। आज जो इंसिडेंट

हो रहा है, इससे पहले 13 सांसदों को इसी तरह निकाला गया है, लेकिन आज माननीय सांसद महुआ मोइत्रा जी का जो प्रकरण है, उसमें पिछले प्रकरणों में जमीन-आसमान का फर्क है। इसमें कम्पनी एग्जिस्ट करती है, इसमें बिजनेस मैन एग्जिस्ट करते हैं और मिस्टर हीरानंदानी का नाम रिपोर्ट में आया हुआ है। मैंने दो घंटे में रिपोर्ट पढ़ी है। यहां इतने विद्धान बैठे हैं, पता नहीं कैसे ये दो घंटे में रिपोर्ट नहीं पढ़ पाए। मैंने पूरी रिपोर्ट दो घंटे में पढ़ी और मिस्टर हीरानंदानी जो बिजनेस मैन हैं, जिनकी कम्पनी का इंटरेस्ट है और प्रमुख रूप से जिन पांच सेक्टर्स में उनका इंटरेस्ट है ? टेलीकॉम, शिपिंग, रियल एस्टेट, पेट्रोलियम और पाइप लाइन। माननीय सांसद, जिनके विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जब से इस सदन की वे सदस्या बनी हैं, तब से लेकर आज तक उन्होंने 61 क्वैश्चन पूछे हैं। इन 61 क्वैश्चन्स में से 50 प्रश्न उनके इन्हीं पांच सेक्टर्स में मिस्टर हीरानंदानी से संबंधित विषयों के बारे में पूछे गए हैं। इतना ही नहीं 47 टाइम्स दुबई से इनका एकाउंट लॉग-इन हुआ है। यह भी रिपोर्ट में है। छह बार यूएस, यूके, नेपाल, यहां से एकाउंट लॉग-इन करके क्वैश्चन्स अपलोड किए गए हैं। ये चीज स्वयं माननीय सांसद महोदया ने एथिक्स कमेटी के सामने स्वीकार की है कि उनका आईडी और पासवर्ड स्वयं हीरानंदानी को और उनकी कम्पनी के लोगों को दिया था। यहां जो नेचुरल जस्टिस की बात कर रहे हैं, उन्हें मैं याद करवा दूं कि एथिक्स कमेटी के सामने माननीय सांसद महोदया को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिला और मिस्टर हीरानंदानी जो इस कम्पनी के प्रमुख हैं और जिनके पास से गिफ्ट और पैसे लेने के आरोप लगे, उसमें मिस्टर हीरानंदानी ने स्वयं एफिडेविट कर एथिक्स कमेटी को दिया है। जो एफिडेविट उन्होंने दिया है, वह इंडियन एम्बेसी के डिप्टी काउंसलेट जनरल, जो दुबई में हैं, उनके सामने शपथ लेकर उन्होंने यह एफिडेविट दिया है। इसी के साथ मैं आपका और पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि यहां बार-बार फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात हो रही है, तो मैं यहां बताना चाहूंगी कि जब हम सांसद बनते हैं, तो हमें मैम्बर्स पोर्टल पर रूल के तहत आईडी और पासवर्ड देने का एक फार्म मिलता है। हम सभी सांसद, चाहे लोक सभा के हों या राज्य सभा के हों, सभी फार्म पर साइन करते हैं और रूल्स में लिखा हुआ है कि हम अपना आईडी और पासवर्ड किसी को शेयर नहीं कर सकते हैं। इसमें लिखा है कि हर संसद सदस्य उसमें साइन करता है और हम सभी ने उस फार्म पर साइन किया हुआ है। माननीय सांसद ने स्वयं माना है कि उन्होंने अपना आईडी और पासवर्ड दिया। इसके अलावा एक ही दिन में उनका एकाउंट दिल्ली, दुबई, बेंगलुरु और यूएस में। चार अलग-अलग शहरों से उनका एकाउंट लॉग-इन हो रहा है। यहां नेचुरल जस्टिस की बात कर रहे हैं और स्वयं रूल तोड़ रहे हैं। आप माननीय सांसद हैं। आपने खुद एक फार्म साइन किया है कि एक चीज कांफिडेंशियल रखनी है और स्वयं चार अलग-अलग लोगों को शेयर कर रहे हैं। यह प्रूव हो चुका है। यह पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है, यह संसद की मर्यादा का सवाल है। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर की रिस्पेक्ट करना हमारा काम है।

हम यहां यह कह रहे हैं कि हम जो भी चर्चा यहां कर रहे हैं या उनकी तरफ से जो कह रहे हैं, मुझे यह कहते हुए बड़ा दु:ख हो रहा है कि इस एक घटना के कारण पूरी दुनिया भर में हमारे सांसदों की छवि खराब हो रही है। इससे एक मैसेज यह जा रहा है कि सांसद अपने सवाल खुद नहीं पूछते, कोई और उनसे पूछने के लिए कहता है। वे अपनी चिट्ठी खुद नहीं लिखते, कोई और उन्हें चिट्ठी लिख कर देता है। वे अपने भाषण खुद नहीं लिखते, कोई और उन्हें लिख कर देता है। इतना ही नहीं, अगर कोई उन्हें पैसे दे तो वे जोर-जोर से, चिल्ला-चिल्ला कर सदन में सवाल पूछते हैं।? (व्यवधान) इस तरह से, इस एक इंसिडेंट के कारण सभी सांसदों की छवि खराब हो रही है। मैं यहां आपसे यह बोलना चाहूंगी कि माननीय सांसद के इस अन-एथिकल कंडक्ट के कारण आज सभी सांसदों की छवि देश भर में खराब हुई है। केवल देश भर में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में छवि खराब हुई है। अभी यहां पर कोई द्रौपदी के चीर-हरण की बात कह रहा है, अलग-अलग देवियों का नाम लिया जा रहा है। हम सब यहां सांसद हैं, irrespective of male or female, हम लोग यहां अपने संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते हम यहां आकर बैठते हैं। जब हम यहां आते हैं तो हम कंस्टीट्यूशन

की ओथ लेते हैं कि हम इस पार्लियामेंट की मर्यादा बनाए रखेंगे, हम हमारे संसदीय क्षेत्र के लोगों का सवाल पूछेंगे और हम हमारे संसदीय क्षेत्र के लोगों के प्रतिनिधि के नाते यहां आकर बैठते हैं, न कि किसी प्राइवेट एंटिटी का रिप्रेजेंटेटिव या एजेंट बनकर बैठते हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से यहां पर आपसे बड़ी विनम्रता से अनुरोध करूंगी कि यहां एथिक्स कमेटी ने रिस्पॉण्डेंट को सुना है, कम्प्लेनेंट को सुना है, एफीडैविट को भी अच्छी तरह से देखा है और नैचुरल जस्टिस की जो बात हो रही है तो जिन पर आरोप लगे हैं, उनसे भी वहां पर कमेटी ने पूछा है। वे लोग, जो यहां पर बार-बार अपमान करने की बात कहते हैं, तो मैं यहां यह बोलना चाहूंगी कि जब मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी तो रिपोर्ट में माननीय सांसद महोदया से जो एफीडैविट प्राप्त हुआ था, उस एफीडैविट के कॉन्टेंट से संबंधित सवाल ही उनसे पूछे गए, उनसे कोई व्यक्तिगत सवाल नहीं पूछा गया, जिनसे उन्हें यह लगे कि यहां पर हमारा चीर-हरण हो रहा है।

महोदय, मैं आपसे यह अनुरोध करूंगी कि कमेटी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसमें उन्होंने जो महत्वपूर्ण विषय रखे हैं, इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए। देश को और पूरी दुनिया को हमें यह मैसेज देना है, हमें उनको यह बताना है कि यदि इस संसद का कोई सदस्य अन-एथिकल कंडक्ट करता है, रूल्स एण्ड प्रोसीजर्स के बाहर काम करता है तो यह सदन उस सदस्य को सदन की सदस्यता से बाहर निकालने का काम भी करता है and nobody is above law of the land.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, allegations against Ms. Mahua Moitra have been placed by the hon. Member. Just now, I heard them. Then, who can be the best person to reply to these allegations? It is the Parliament. That speech will be on record. If Ms. Mahua Moitra is not allowed to give her explanation, the Parliament?s idea would not be fulfilled. So, I would request you that as a speaker from our Party, Ms. Mahua Moitra be allowed to speak.

माननीय अध्यक्ष **:** पहले कल्याण बनर्जी जी बोल लें।

कल्याण बनर्जी जी।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY: My party?s spokesperson will be Ms. Mahua Moitra herself because allegations are against her. Wild allegations have been made.

Whether the allegations are true or not, let them be explained by her? (*Interruptions*) I think today the House will take a decision to expel her? (*Interruptions*) We know it? (*Interruptions*)

श्री प्रहलाद जोशी **:** सर, आज माननीय सदस्य के निष्कासन का जो प्रस्ताव आ रहा है, जिसरिपोर्ट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उस पर एथिक्स कमिटी के माध्यम से पूरी चर्चा हुई है और सभी बिंदुओं के बारे में विचार-विमर्श हुआ है। समिति ने आज अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने आपकी अनुमति के साथ रखी है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यह कहता हूँ कि इसी सदन में, जब पश्चिम बंगाल के ही माननीय सोमनाथ चटर्जी स्पीकर थे, कैश फॉर

क्वेरी मामले में उस टाइम 10 लोगों को निष्कासित किया गया था। इस मामले में जब पूछा गया कि जो 10 लोग बैठे थे, एमपीज़ अंदर ही बैठे थे, तब रिक्वेस्ट किया गया कि इन लोगों को भी अपना पक्ष रखने के लिए कृपया आप अनुमति दें। तब सोमनाथ चटर्जी साहब ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जो इंक्वायरी कमिटी थी, जिस कमिटी के सामने ये पेश हुए थे, इनकी पूछताछ हुई है, कमिटी पूरी चर्चा कर के निष्कर्ष पर पहुंची है। ? (व्यवधान) इसलिए अभी इस सदन में बोलने के लिए इनका कोई अधिकार नहीं है। ? (व्यवधान) यह स्वयं सोमनाथ चटर्जी जी ने उस टाइम कहा है। ? (व्यवधान) इसीलिए अनुमति दी नहीं गई थी। ? (व्यवधान) अभी भी यह सवाल नहीं उठता है। ? (व्यवधान) यह अनएथिकल सवाल नहीं उठना चाहिए। ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय सदस्यों, पुरानी परंपराएं मेरे पास भी पड़ी हुई हैं, जिनका मेंशन संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी किया है। उस समय हमारे पूर्व के अध्यक्ष माननीय सोमनाथ चटर्जी यहां पर थे, प्रणव मुखर्जी भी यहां पर थे। उन सभी के सामने इस विषय पर चर्चा हुई थी। अध्यक्ष जो परंपरा, नियम या जो रूल्स देते हैं, वही हमारे रूल्स माने जाते हैं। उस समय माननीय सोमनाथ चटर्जी जी ने यह कहा था कि जिन माननीय सदस्यों के ऊपर ये आरोप लगे हैं, उनको कमिटी में बोलने का पर्याप्त अवसर, पर्याप्त मौका रहता है।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** मैं टेबल पर रेकॉर्ड रख कर बात करता हूँ। बिना रेकॉर्ड के बात नहीं करता हूँ। अगर आप डिबेट करेंगे तो मैं एक-एक लाइन पढ़ कर सुना दूंगा। मैं रेकॉर्ड पर बोलता हूँ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** इस सदन में परंपरा रही है कि पुराने अध्यक्षों की जो कुछ भी परंपराएं थी, उनका पालन नए अध्यक्ष हमेशा करते हैं।

? (व्यवधान)

श्री प्रहलाद जोशी **:** स्पीकर के डायरेक्शंस की एक बुक है, उसको पढ़ कर देखो। ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** कल्याण जी, क्या आप नहीं बोल रहे हैं, अगले माननीय सदस्य का नाम बुलाऊं?

बोलिए सुदीप जी, आप बोलिए।

? (व्यवधान)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY: Sir, on this issue, her speech has been recorded in the Committee ? (*Interruptions*) Now, it is the property of the House. Whom you are going to expel today from 17th Lok Sabha now, is known to everybody ? (*Interruptions*)

Today, they have placed the Report before the Parliament. But the whole report had been exposed to the media long before. It is nothing new today ?

(*Interruptions*) It is only the Ethics Committee which has done this wrong thing? (*Interruptions*). They have exposed it before the media and media exposed the Report? (*Interruptions*) It is not that they have submitted the Report today? (*Interruptions*) The Report has been placed against Sushri Mahua Moitra? (*Interruptions*)

One hon. Member has spoken about many allegations against her? (*Interruptions*) Then, what will be the harm in giving her a chance to speak for minimum ten minutes?? (*Interruptions*) Allow her to speak before you expel her? (*Interruptions*) Why will she not be allowed to speak for a few minutes?? (*Interruptions*) What is wrong in it?? (*Interruptions*) Sir, I urge upon you with folded hands to allow her to speak on behalf of Trinamool Congress Party and as a speaker of our Party? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष **:** सुदीप जी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं और आप भी वरिष्ठ सदस्य रहे हैं। उस समय आप भी यहां पर माननीय सदस्य थे। सदन की कुछ परंपराए हैं। पूर्ववर्ती अध्यक्ष जो कुछ भी अपने वक्तव्य देते हैं, उनको अध्यक्षीय निर्देश बोलते हैं।

उस अध्यक्षीय डायरेक्शन का हम हमेशा पालन करते हैं और उसको रूलिंग की तरह मानते हैं। यह हमारी परंपरा रही है। मैं आज कोई नई परंपरा नहीं स्थापित कर रहा हूं, कोई नई परिपाटी उपस्थित नहीं कर रहा हूं। अगर यह परंपरा नहीं रहती और मैं नई परंपरा स्थापित करता तो आपको बोलने का अधिकार था। मैं मना नहीं कर सकता था, लेकिन आपने परंपराएं लागू की हैं। आपने परिपाटियाँ लागू की हैं।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष**:** हाँ, आप बोलिए।

? (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी **:** सर, मैंने आपको बहुत पहले चिट्ठी भी लिखी है। यह जो बात की जा रही है, यह स्टिंग ऑपरेशन थी। इस स्टिंग ऑपरेशन को एक जानेमाने न्यूज साइट कोबरा पोस्ट ने किया था। उसके चलते सारी तस्वीर स्पष्ट थी। चॉक और चीज़ को एक न करें तो बेहतर है।? (व्यवधान)

सर, आज आप एक ... मत रचिए।? (व्यवधान)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY: Sir, she will speak only for ten minutes. ? (*Interruptions*) Kindly allow her.

श्री कल्याण बनर्जी **(**श्रीरामपुर**):** सर, उनको अलाउ कीजिए।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष**:** नो।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कल्याण जी, आप बोलिए।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कल्याण जी, अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं नेक्स्ट मेंबर को बुलाऊंगा।

? (व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE: Hon. Speaker, Sir, kindly see that a fair trial would only be there when an affected person is being heard. If an affected is not being heard, there cannot be any fair trial.? (*Interruptions*) There cannot be any fair trial. Sir, with great respect to you, whatever I am saying, kindly, do not take it as an exception. This is the Parliament. We are the Members. Today, we are deciding the rights of a person. When we are deciding the rights of a person, then we are all acting as a quasi-judicial body. Before a quasi-judicial body, an affected person should be heard. ? (*Interruptions*) I would like to request you to kindly allow Sushri Mahua Moitra to be heard. That is the request that I am going to make. ? (*Interruptions*)

When we speak, there would be a privilege issue against us but they keep on disturbing us every day.? (*Interruptions*) This is the fundamental principle of law that a person against whom the chargesheet has been brought and persons who are bringing these charges, these charges should be established in according with the procedure of law. Who is the main person? The main person is Darshan Hiranandani. Who has relied upon his statement? His name is Jai Anant Dehadrai. Who has brought it? He is one of the hon. Members, Nishikant Dubey. On what basis is it going on? It is on the basis of an affidavit of Darshan Hiranandani. His affidavit has been brought. Darshan Hiranandani has not even been brought as a witness. His statement has not been testified. This is his affidavit. No affidavit can be relied upon unless that person comes and says: ?This is my affidavit. Whatever I am saying or whatever contents are there, are correct.? ? (*Interruptions*) Thereafter, Sir, in a quasi-judicial proceeding, right of cross-examination should be given. That is called a fair hearing. The right of hearing is not a fanciful thing. It has to be made a meaningful right. .? (*Interruptions*) The way they had made these allegations whether it is Jai Anant Dehadrai or Darshan Hiranandani or Nishikant Dubey, in the same way Mahua Moitra is having a right to cross-examine each and every person. .? (*Interruptions*) But, that has not been allowed. What has happened earlier is not the point, the point is that the law is not made on an island, it is being made in our country on the basis of the interpretations given by the Supreme Court of India. .? (*Interruptions*) It has been clearly said in various judgements given by the

Supreme Court that if an affected person has not been given an opportunity to defend himself or herself in a proper manner, then, it is a violation of the principle of natural justice.

The principles of natural justice are implicit in Article 14 of the Constitution of India. ? (*Interruptions*) Therefore, Sir, not only the right to be heard is being violated but Mahua Moitra ji?s right as protected under Article 14 of the Constitution of India has been violated by the Ethics Committee and also today by the House itself. There is a violation. ? (*Interruptions*) The Constitutional violation is being made. ? (*Interruptions*)

Sir, the 2005 cash-for-query case is being repeatedly referred to here. Kindly come to Page No. 18 of the Report of that Committee. Shri Pawan Kumar Bansal was appointed as the Chairman of the said Committee. At Serial No. 12, it says:

?The Committee examined Shri Anirudh Bahal, Ms. Suhasini Raj and Shri Kumar Badal, representatives of the Portal Cobrapost.com.? ? (*Interruptions*)

सर, आपको टाइम देना होगा। ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** आप कंक्लूड करें।

SHRI KALYAN BANERJEE: Sir, they were examined. ? (*Interruptions*) Here, Mr. Hiranandani has not been examined at all. ? (*Interruptions*) It is just an eyewash. ? (*Interruptions*) Hon. Minister, you always have the right to speak but kindly excuse me. ? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष **:** आप कंक्लूड करें।

SHRI KALYAN BANERJEE: Sir, please give me time. You are not allowing Mahua Moitra ji to speak. Kindly allow me to speak. ? (*Interruptions*)

Now, Sir, I am coming to what this Report says. At serial No. 43, whatever has been said, who has said it? ? (*Interruptions*) It has not been said by Shri Darshan Hiranandani. ? (*Interruptions*) What Shri Jai has said, everything has been written here. ? (*Interruptions*) Sir, I have some more points. Kindly give me a chance to speak. ? (*Interruptions*) Today, I am just praying before you to kindly render justice to me.

माननीय अध्यक्ष **:** आप एक मिनट में अपनी बात कह दें।

? (व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी : सर, एक शब्द में नहीं होगा। ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट में अपनी बात कह दें।

SHRI KALYAN BANERJEE: Sir, it has relied upon Section 43 of the Information Technology Act. It has been said that it is a violation of Section 43. Let us assume for argument?s sake that the allegations are correct. Where does Section 43 say that if password is given to anyone, it is an offence under the Information Technology Act? If anyone uses my computer without my consent, then Section 43 would be applicable here. But that has not been done here. ? (*Interruptions*) Sir, please, for God?s sake, give me some time to speak. ? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप कंक्लूड कर दीजिए।

SHRI KALYAN BANERJEE: Sir, kindly see the recommendation and the conclusion part. ? (*Interruptions*) According to that, it has been proved that cash has been taken. Where is that? ? (*Interruptions*) Where is this finding based on facts? How much cash has been taken? ? (*Interruptions*) It is not based on evidence. ? (*Interruptions*)

Now, I am coming to a very important question. ? (*Interruptions*) I will just conclude. ? (*Interruptions*) With great respect to the hon. Speaker and to all the hon. Members of this House, I would like to say that this House does not have the power to remove someone as a Member. The Constitution has provided a provision for disqualification. This provision of disqualification has been provided by the Constitution in Tenth Schedule under Article 102. It does not come within that. You have the power to suspend a Member under Rule 374 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha itself. Therefore, let us assume for arguments sake, there is no power with the House itself to expel or to remove Sushri Mahua Moitra. The Constitution does not permit this. The rule does not permit this. Even if any precedent has been there, that is contrary to the rules. No precedent or no rule can stand above the Constitutional provisions.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं दो बातें आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, आप सभी वरिष्ठ सदस्य हैं और अनुभवी भी हैं। मुझे बार-बार कह रहे हैं कि जस्टिस नहीं हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा है। पार्लियामेंट के लिए प्रोसिजर है, नियम-प्रक्रिया बनी हुई है। नियम-प्रक्रियाओं के तहत जो कमेटी होती है, उस कमेटी के अंदर चर्चा होती है, एविडेंस होते हैं, पक्ष-विपक्ष सुने जाते हैं, वह कमेटी का प्रोसिजर है। पार्लियामेंट में उस कमेटी प्रोसिजर की पालना नहीं होती है। हम यहां पर न्याय नहीं कर रहे हैं, उस कमेटी के प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं। आप फिर से बात को समझें, हम कमेटी के प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं। ये चीजें कमेटी में होनी चाहिए। कमेटी न्यायालय

की तरह काम करती है, सभी का पक्ष सुनती है, लेकिन सदन न्यायालय की तरह काम नहीं करता। यह सदन उस कमेटी के प्रस्ताव पर चर्चा कर रहा है, इस बात पर क्लेयरिटी है न? कोई कन्फ्यूजन है?

मैं आपकी तरह विद्वान वकील नहीं हूं, लेकिन आपने मुझे अध्यक्ष चुना है तो मैं नियम के तहत बात कर रहा हूं, बिना नियम के बात नहीं कर रहा हूं। आप दो बड़े-बड़े वकील हैं, आप तीनों वकील हैं, जस्टिस हैं। ये सब समिति के अंदर चर्चाएं होनी चाहिए, इस हाउस में इसकी थोड़े चर्चा होगी?

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: ये सब प्रोसिजर है, चाहे ऐथिक्स कमेटी हो, विशेषाधिकार कमेटी हो, जितनी भी कमेटियां हैं। कमेटी प्रस्ताव करती है और उस प्रस्ताव पर सदन में चर्चा होती है।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप उस पर सवाल उठा सकते हैं, आप यहां नहीं कह सकते कि न्याय करो, सदन उस प्रस्ताव पर चर्चा कर रहा है। आप इसे सदन में गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, यह सदन उसके लिए नहीं है।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री गिरिधारी यादव जी।

? (व्यवधान)

श्री गिरिधारी यादव (बांका)**:** अध्यक्ष महोदय, आज मैं सदन में खड़ा हुआ हूं, यह पीड़ादायक है। एक तरफ आप माननीय सदस्या को एक्सपेल कर रहे हैं। यह सदन का दुर्भाग्य है कि हमारे माननीय सदस्य निशिकांत जी को क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए बुला लिया गया, लेकिन दर्शन हीरानंदानी, जिसने ऐफिडेविट दिया, उसे नहीं बुलाया तो एमपी उससे नीचे हो गए। निशिकांत जी को क्यों बुलाया गया? यदि एफिडेविट पर ही विश्वास करना था तो माननीय निशिकांत जी पर क्यों अविश्वास किया

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: Hon. Speaker, Sir, he is a Member of the Committee. मेंबर ऑफ द कमेटी क्या बोल रहे हैं? यह आपके निर्णय के खिलाफ बोल रहे हैं।

श्री गिरिधारी यादव **:** अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने कमेटी में मांग की थी, कमेटी ने कहा था कि उन्हें भी बुलाएंगे, लेकिन नहीं बुलाया गया, वहां कोई चर्चा नहीं हुई। ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** श्री हसनैन मसूदी जी क्या आप बोलना चाहते हैं?

? (व्यवधान)

SHRI HASNAIN MASOODI (ANANTNAG): Hon. Speaker, there can be no disagreement with the observation made by you that it is not the hon. Speaker who has to take the decision, but it is the House that has to take the decision. That does not mean that we depart from ? (*Interruptions*)? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: गिरिधारी जी, आप बोलिए।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप अपनी सीट पर जाकर बोलिए क्योंकि यहां आपका माइक चालू नहीं होगा।

? (व्यवधान)

श्री गिरिधारी यादव : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बता रहा हूं कि आचार समिति के सभापति ने कहा था कि दर्शन हीरा नंदानी को बुलाएंगे। उन्होंने नहीं बुलाया। ? (व्यवधान)

श्री प्रहलाद जोशी: एथिक्स कमेटी के मैम्बर हैं, ? (व्यवधान) सब एथिक्स कमेटी के मैम्बर्स को मौका देना चाहिए। ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: क्या आप अपराजिता सारंगी को मौका देंगे?

? (व्यवधान)

श्री गिरिधारी यादव: दानिश जी, हम और हमारे चेयरमैन खड़े थे, लेकिन कोई बात ही नहीं हुई और दो मिनट में मीटिंग खत्म। ? (व्यवधान) उधर से आए और बोले कि डिसेंट नोट दीजिए और डिसेंट नोट भी नहीं लिया। ? (व्यवधान) एकदम फाल्स रिपोर्ट है, कोई चर्चा नहीं, ? (व्यवधान) हमारी प्रतिष्ठा का हनन किया गया। ? (व्यवधान) एमपीज़ को बुलाते हैं और पूंजीपति को नहीं बुलाते हैं जो आरोप लगाता है। ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, न्याय प्राकृतिक होना चाहिए। ? (व्यवधान) हम जानते हैं आप जिस चेयर पर बैठे हैं, आपको पूरा अधिकार है। ? (व्यवधान) लेकिन आप बताइए कि क्या आपको न्याय दिख रहा है? ? (व्यवधान) न्याय दिख नहीं रहा है। ? (व्यवधान) उनको नहीं बुलाया और हमें बुला लिया। ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मुझे अधिकार नहीं है, आप फिर गलत बोल रहे हैं।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठिए।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं बार-बार आपसे आग्रह कर रहा हूं, मेरा अधिकार नहीं है, यह सभा का अधिकार है। आप अपने शब्दों को ठीक से बोलें। मैं न्यायाधीश थोड़े हूं जो निर्णय कर रहा हूं। यह सभा का अधिकार है। अगर सभा का अधिकार नहीं होता तो मैं फैसला सुना देता। यह सभा का अधिकार है।

? (व्यवधान)

श्री गिरिधारी यादव: अध्यक्ष महोदय, ठीक है। ? (व्यवधान)

जहां तक शपथ पत्र की बात है, यह शपथ पत्र नहीं हो सकता, प्रत्यक्ष पर होना चाहिए। ? (व्यवधान) आप बिना काम के शपथ पत्र पर किसी को सजा नहीं दे सकते। ? (व्यवधान) डॉ. हिना, संसद सदस्या ने पासवर्ड की बात

कही। पासवर्ड कभी नहीं दिया गया, पासवर्ड महुआ मोइत्रा जी के पास था, भले ही लॉगिन कहीं से हो। ? (व्यवधान) हमें हमारा पासवर्ड भी याद नहीं है। मेरे पीए के पास है। मैंने इस बार कोई प्रश्न लोकसभा में इस डर से नहीं किया कि पता नहीं क्या हो जाएगा। ? (व्यवधान) आज तक मेरा प्रश्न दूसरा कोई तैयार करता था, मैं अपना प्रश्न कभी बनाता नहीं हूं, बहुत से एमपी नहीं बनाते हैं। बहुत ही इंटेलिजेंट होंगे जो दो घंटे में पढ़ लेते हैं, हम भी पढ़-लिखे लोग हैं, लेकिन नहीं पढ़ पाते। मैं अपना प्रश्न कभी तैयार नहीं करता हूं, मेरा पीए करता है, मेरा और स्टाफ करता है। ? (व्यवधान) मैंने इस बार एक भी क्वैश्चन इस डर से नहीं लगाया क्योंकि लोकतंत्र में डराया गया है। ? (व्यवधान) मैंने नहीं किया, हमको आता ही नहीं है। ? (व्यवधान) हमें तो कम्प्यूटर चलाना नहीं आता है। हम तो लिखकर देना चाहते हैं। ? (व्यवधान) मैं ऐसे करना नहीं जानता तो मैं क्या करूं? ? (व्यवधान) मैं तीसरी बार सांसद बना हूं, चार बार एमएलए रहा हूं, क्या हम बुढ़ापे में सीख सकते हैं? बूढ़ कौआ पोस नहीं मानता है।? (व्यवधान) पुरानी गाय पो लालू जी कहते थे कि नहीं हो सकता ? (व्यवधान) मैंने कोई प्रश्न नहीं किया, नियम 377 के अधीन मामला बड़ी मुश्किल से डाला, इससे पहले पूरा प्रश्न करता था। ? (व्यवधान) हम नहीं जानते हैं तो नहीं जानते हैं। ? (व्यवधान) बिना काम की जबरदस्ती है। ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष**:** अपराजिता जी।

? (व्यवधान)

श्री गिरिधारी यादव **:** यह मनुस्मृति में कहा गया है कि सबके लिए अलग-अलग कानून होगा। वही मनुस्मृति भारतीय जनता पार्टी लागू करना चाहती है।? (व्यवधान) यह मनु का धर्म नहीं है, यह मनु का समय नहीं है, लोकतंत्र है। ? (व्यवधान) इसलिए आप लोकतंत्र में ?? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष**:** माननीय सदस्य, मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वह खुद प्रश्न बनाएं और डालें। हमारे प्रश्न कोई भी बनाकर नहीं डाल सकता। आपके खिलाफ इस विषय को लेकर गंभीर कार्रवाई हो सकती है।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष**:** आप ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। मैं इस संसद की गरिमा को नहीं गिरने दूंगा क्योंकि मैं यहां का अध्यक्ष हूं, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है मैं सभी माननीय सदस्यों की गरिमा को बनाए रखूं।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष**:** माननीय सदस्य, क्या आप इनकी बात से सहमत हैं?

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष**:** क्या माननीय सदस्य खुद अपने प्रश्न नहीं बनाते?

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष**:** क्या हमारे प्रश्न कोई और बनाता है? क्या आप इस बात से सहमत हैं?

? (व्यवधान)

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय **:** माननीय अध्यक्ष जी, महुआ मोइत्रा को आप दस मिनट की जगह सात या पांच मिनट बोलने देंगे तो अच्छा रहेगा। ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष**:** क्या आप उनकी बात से सहमत हैं?

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय **:** माननीय अध्यक्ष जी, किस बात पर? ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, क्वैश्चन हर व्यक्ति करना चाहता है, लेकिन जानता नहीं है कि कैसे करना है। यही बात है। वह एडमिट कर रहा है कि वह नहीं जानता। पीए को पासवर्ड दे देता है, उन्होंने यह बताया। आप एक दिन टेस्ट कराएं सभी मेंबर्स का कि आप अपना पोर्टल खोलकर रिपोर्ट निकालो। ? (व्यवधान) आप दस-दस एमपीज़ को अपने घर में बिठाकर कोशिश करके देखिए। ? (व्यवधान)

- -

-

15.00 hrs

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, उन्होंने यह भी नहीं कहा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मैं प्रश्न ही नहीं बनाता हूं।

? (व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी **(**श्रीरामपुर**):** सर, आप पुराना सिस्टम चला दीजिए। आप हार्डकॉपी भेजिए।

माननीय अध्यक्ष : हार्डकॉपी भी लिखकर डाल सकते हैं। दोनों हैं, ऑनलाइन भी और हार्ड कॉपी भी।

? (व्यवधान)

श्रीमती अपराजिता सारंगी **(**भुवनेश्वर**):** माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूं कि आपने मुझे इस अहम विषय पर बोलने का मौका दिया। ? (व्यवधान) यह विषय बहुत अहम है, क्योंकि यह संसद की मर्यादा के विषय में है। यह विषय अहम है, क्योंकि यह संवैधानिक प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ विषय है। हम संसद की मार्यादा की बात कर रहे हैं, हम संवैधानिक प्रक्रियाओं की बात कर रहे हैं, हम एथिक्स की बात कर रहे हैं और हम सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। जब एक व्यक्ति किसी भी संसदीय क्षेत्र से चुना जाता है, तो वह लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व देश की सबसे बड़ी पंचायत में करता है। निश्चित तौर पर मैं बड़ी विन्रमता, लेकिन आत्मविश्वास के साथ कहूंगी कि यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब हम इस जिम्मेदारी से चूक करते हैं, तो निश्चित तौर पर प्रश्न उठेंगे और विपक्ष के जितने भी मेरे बंधु बैठे हैं, उनसे मैं एक ही प्रश्न करना चाहती हूं कि मैडम महुआ मोइत्रा, माननीय सांसद एवं सहकर्मी ने जो किया, वह सही था या गलत था? हम सब दिल पर हाथ रखकर कहें, संविधान को याद करके कहें कि यह सही था या गलत था? ? (व्यवधान)

मैं निश्चित तौर पर बोलना चाहूंगी कि तीन बैठकें हुईं और इन तीन बैठकों में इन्हें समुचित समय बोलने के लिए दिया गया, लेकिन इन्होंने बदतमीजी की। इन्होंने असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग किया और वाकआउट कर गयीं।

हम सुनना चाहते थे, लेकिन इन्होंने अपनी बात नहीं रखी। ? (व्यवधान) हमने उसके बाद कम्प्लेनेंट और डिसेंडेंट को भी सुना, जिसके पश्चात् हमने रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में कुछ प्रस्ताव दिए गए हैं। ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री प्रह्लाद जोशी से प्रस्ताव पर मतदान कराने के लिए अनुरोध करता हूं।

15.04 hrs

At this stage, Shri Adhir Ranjan Chowdhury, Shri Kalyan Banerjee and some other hon. Members left the House

HON. SPEAKER: The question is:

?That this House do take up for the consideration the First Report of the Committee on Ethics on complaint dated 15 October, 2023 given by Dr. Nishikant Dubey, MP against Shrimati Mahua Moitra, MP for alleged direct involvement in the cash for query in the Parliament with reference to the examination/investigation of unethical conduct of Shrimati Mahua Moitra, MP laid on the Table of the House on 08 December, 2023.?

The motion was adopted.

____

15.04½ hrs